**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर**

उपस्थित–राकेश पाण्डेय, एच0जे0एस0

(प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर)

(J.O. Code- UP 2397)

**********

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1700 / 2026**

UPST010053052026

1. अनिरूद्ध यादव उर्फ अनुरूद्ध यादव पुत्र राजाराम यादव
2. बलराज यादव पुत्र श्रीपाल

निवासीगण ग्राम पूरे शुक्लन, चिलबिली, थाना मुंशीगंज, जनपद अमेठी।

———— प्रार्थी / अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ———— विपक्षी / अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–44 / 2026,
धारा–109(1) बी0एन0एस0
थाना–मुंशीगंज, जनपद–अमेठी।

**दि0 18.06.2026**

प्रार्थी / अभियुक्तगण अनिरूद्ध यादव उर्फ अनुरूद्ध यादव एवं बलराज यादव की ओर से यह संयुक्त जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों / पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी / अभियुक्तगण की ओर से राजाराम यादव द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.05. 2026 को समय 00.35 बजे रात्रि लाइट चले जाने के कारण घर से करीब 50 कदम की दूरी पर घूम रहा था तो वादी के गांव के अनुरू0 यादव व बलराज यादव पहले से ही घात लगाकर बैठे थे, पुरानी रंजिश को लेकर लोहे की राड़ से फिर पर जान से मारने की नीयत से मारने लगे, जिससे उसके सिर में गम्भीर चोटे आयी और वह बेहोश होकर गिर गया तो उसके परिजनों द्वारा उसका साथ लेकर थाने लाए, जहॉ सी0एच0सी0 शाहगढ़ में मेडिकल कराने के बाद रेफर जिला अस्पताल गौरीगंज किया

गया। सी0टी0 स्कैन होने के बाद पुनः थाने आकर प्रार्थना पत्र दिया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई दोषिसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं हैं। उपरोक्त अभियोग में प्रार्थी/अभियुक्तगण को गलत तथ्यों के आधार पर वादी मुकदमा द्वारा साजिशन थाने की पुलिस को हमवार कर पुराने मुकदमें व प्रधानी की रंजिशन के कारण फंसाया गया है। उपरोक्त अभियोग की तथाकथित घटना दिनांक 12.05.2026समय 00.35 बजे रात की कही जाती है और वादी मुकदमा द्वारा रात में घूमना कहा जा रहा है, जिससे अपने आप में संदेह प्रतीत होता है और उक्त वक्त वादी पक्ष द्वारा घात लगाकर पहले से बैठने की बात कहीं जा रही है। उस समय प्रार्थी/अभियुक्तगण अपने घर पर सो रहे थे। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। गांव के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार वादी को चोटे रोड़ एक्सीडेंन्ट से आयी है, जो उस समय शराब के नशे में धुत था। इसके पूर्व में दिनांक 31.10.2025 को वादी के चचेरे भाई करन यादव द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त बलराज को मारा पीटा गया था, जिससे थाने की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 23/2025 अन्तर्गत धारा 115(2),352,351(3),117(2) बी0एन0एस0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी मुकदमें व प्रधानी की चुनावी रंजिशन के कारण फर्जी कहानी बनाकर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व मु0अ0सं0 136/2025 में थाने की पुलिस को हमवार कर राजनैतिक दबाव में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को लोहे की राड़ से मारा पीटा, जिसके कारण उसके सिर में गम्भीर चोटे आयी और वह मौके पर बेहोश हो गया। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त बलराज यादव का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः—

| **क्र0** | **मु0अ0सं0** | **धारा** | **थाना** | **जनपद** |
|---|---|---|---|---|
| 1- | 190/2020 | 323,504,506 IPC | मुंशीगंज, | अमेठी |

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त अनिरूद्ध यादव उर्फ अन्नु

यादव का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः—

| क0 | मु0अ0सं0 | धारा | थाना | जनपद |
|---|---|---|---|---|
| 1- | 129/2025 | 115(2),351(3),352 BNS | मुंशीगंज, | अमेठी |
| 2- | 69/2024 | 323,504,506 IPC, 3(1)द,ध | जामों | अमेठी |

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा को मारपीट कर जानलेवा चोटे पहुॅचाने का अभियोग है। कथित घटना में चोटहिल अवधेश यादव के शरीर पर 1. L/W 7cm x 0.5cm x skull deep with fresh blood, 8 cm above left eye brow. 2-L/W 10cm x 0.5cm x skull deep with breatj blood over parielal-pemporal aspect of sclap. 3-L/W 10cm x 0.5cm x skull deep connected postericrly to injury2. 4-L/W 7cm x 0.5cm x skull deep, 8cm above left ear. 5-L/W 4cm x 0.5cm x skull deep, 3 cm posterior to injury 4 पायी गयी है तथा चोटहिल की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट के अनुसार खोपड़ी पर कई घाव पाए गए थे तथा नाक की हड्डी के सिरे पर फ्रैक्चर है, साथ ही खोपड़ी में सूजन और खोपड़ी के बाए फ्रंटोटेम्पोरोपैरिएटल और ओसिपिटल क्षेत्र में सबगैलियल हेमाटोमा है। ये चोटे किसी कुन्द बल के प्रहार से लगी है और गम्भीर प्रकृति की चोटे है। सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट देखकर चिकित्सक द्वारा अपना अभिमत व्यक्त किया गया है, जिसमें उनके द्वारा चोटों की प्रकृति गम्भीर बतायी गयी है, लेकिन ऐसा कोई मत व्यक्त नहीं किया है जिससे यह निष्कर्षित किया जा सके कि चोटों की प्रकृति मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। वादी व अभियुक्तगण के मध्य पूर्व की रंजिश होना कहा गया है। कथित घटना में प्रयुक्त हथियार की कोई बरामदगी नहीं की गयी है। अभियुक्तगण की ओर से वादी पक्ष के विरूद्ध भी एक एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। अभियुक्तगण लगभग एक माह से अधिक समय से जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध है।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त बलराज के विरूद्ध पूर्व का एक आपराधिक मुकदमे का इतिहास है तथा अभियुक्त अनुरूद्ध यादव के विरूद्ध पूर्व के दो मुकदमों का आपराधिक इतिहास हैं। विधि व्यवस्था **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 11 एस0सी0सी0 648** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जमानत का पर्याप्त आधार पाये जाने पर किसी अभियुक्त के विरूद्ध अनेकों आपराधिक मामलों का लम्बित होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। अन्यथा भी किसी व्यक्ति को लम्बे आपराधिक इतिहास के कारण किसी मुकदमे में झूठे तौर पर नामित किये जाने की

सम्भावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अन्वेषण के पश्चात आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। गवाहों को डराये/धमकाये जाने की कोई युक्तियुक्त सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद के गुण–दोष पर अन्य कोई टिप्पणी किए बगैर, अभियुक्तगण उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/अभियुक्तगण अनिरूद्ध यादव उर्फ अनुरूद्ध यादव एवं बलराज यादव का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/–(एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तो के अधीन, जमानत पर रिहा किया जावेः–

1– प्रार्थी/अभियुक्तगण विवेचना व विचारण में पूर्ण सहयोग करेगे।

2– प्रार्थी/अभियुक्तगण आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

3– प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

4– प्रार्थी/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

Sd/-

दिनांकः 18.06.2026

**(राकेश पाण्डेय)**
प्रभारी अपर सत्र सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर

संत्येन्द्र कुमार/–